जानिए
मानव-गरिमा संबंधी अधिकार

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

सिविल अधिकार का मतलब

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछुत की प्रथा एवं उसके द्वारा प्रकट हुई निर्योग्यता को समाप्त किया गया है।

इस प्रथा की समाप्ति के बाद इस प्रथा से शोषित व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिन्हें इस अधिनियम के अनुसार सिविल अधिकार कहा जाता है।

धार्मिक निर्योग्यता और उसके लिए सजा

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को छुआछूत को आधार बनाकर-

- धार्मिक स्थान में प्रवेश करने से, या
- पूजा करने से, या
- किसी भी धार्मिक स्थान पर नहाने या वहाँ का पानी इस्तेमाल करने से रोकता है।

तो उसे कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रूपये और अधिक से अधिक 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सामाजिक निर्योग्यता और उसके लिए सजा

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को छुआछूत को आधार बनाकर -

- सार्वजनिक दुकान, होटल, भोजनालय या मनोरंजन के स्थान में आने जाने से रोकता है, या
- बर्त्तनों और अन्य वस्तुओं का जैसे बिस्तर, इत्यादि, जो किसी सार्वजनिक धर्मशाला, होटल आदि में रखे गए हों उन का प्रयोग करने से मना करता है, या
- कोई व्यवसाय और कारोबार करने से रोकता है, या
- नदी या घाट का प्रयोग करने से रोकता है, या
- ऐसी धर्मार्थ/परोपकारी जगह जिसके रख-रखाव का खर्च सरकार द्वारा दिया जाता हो, उस में आने-जाने से या उसका फायदा उठाने से रोकता हो, या
- सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करने से रोकता हो, या
- किसी मुहल्ले में घर बनाने या जमीन खरीदने से रोकता हो, या
- किसी सामाजिक या धार्मिक जलसे में रीति रिवाजों का पालन नहीं करने देता, या
- गहनें अथवा अच्छे कपड़े पहनने से रोकता हो

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रूपये और अधिक से अधिक 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सार्वजनिक अस्पताल इत्यादि में पाबन्दी के लिए सजा

जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सार्वजनिक अस्पताल, दवाखाने या शैक्षिक संस्थान में दाखिला देने में या दाखिले के बाद छुआछूत के आधार पर भेदभाव करता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 महीने से 6 महीने तक की जेल और 100 रूपये से 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सामान बेचने या सेवा प्रदान करने से मनाही करने के लिए सजा

जब कोई व्यक्ति छुआछूत को आधार बनाकर किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचने या कोई सेवा प्रदान करने से मना करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रूपये और अधिक से अधिक 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को काम करने के लिए लाइसेन्स प्रदान किया गया है तो उसका लाइसेन्स निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।

छुआछूत के आधार पर किये गए अन्य अपराध

जब कोई व्यक्ति

1. किसी व्यक्ति को उसके सिविल अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है, या
2. उनका प्रयोग करने पर उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे छेड़ता है, मारता है या चिढ़ाता हो, या
3. लिखित रूप में या इशारों से लोगों को छुआछूत की प्रथा का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करता है, या
4. अनुसूचित जाति के लोगों की छुआछूत के आधार पर बेइज्जती करता है।

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रूपये और अधिक से अधिक 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- जब कोई व्यक्ति सिर्फ बदले की भावना से किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी सम्पति को केवल इसलिए नुकसान पहुँचाने का अपराध करता है, कि उस व्यक्ति ने अपने सिविल अधिकार का प्रयोग किया है और अगर ऐसे अपराध की सजा 2 साल या उस से अधिक की जेल है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 2 साल की जेल और जुर्माना होगा।

जब कोई व्यक्ति

1. अपने ही समुदाय के व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर उसके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है, या
2. किसी व्यक्ति का बहिष्कार सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह छुआछूत कर प्रथा का पालन नहीं करता है या इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करता है

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रूपये और अधिक से अधिक 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अगर कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी को शौचालय को साफ करने, झाड़ु मारने, पशुओं का मृत शरीर फेंकने, चमड़ा उतारने या नाभि-नाड़ी को फेंकने के लिए मजबूर करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रूपये और अधिक से अधिक 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अपराध के लिए उकसाने की सजा

कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्दर किये गये किसी अपराध को करने के लिए किसी को उकसाता है तो उसे उस अपराध के लिए दी गई सजा दी जाएगी।

लोक सेवक जो जानबूझकर इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये अपराध ों की छानबीन नहीं करता तो उसकी इस तरह की लापरवाही को भी अपराध के लिए उत्साहित करना माना जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना

राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है कि किसी जगह पर पूरे समुदाय ने इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया है या उसे उकसाया है या जिस व्यक्ति ने अपराध किया है या उसे छिपाया है तो राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना भी लगा सकती है और उसकी वसूली के लिए नियम बना सकती है।

दोबारा अपराध करने पर सजा

अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्दर दिये गये अपराध के लिए दोबारा दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक एक साल तक की जेल और कम से कम 200 रूपये और अधिक से अधिक 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

कम्पनियों द्वारा अपराध

अगर कोई कम्पनी इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध करती है तो कम्पनी के कार्यों के संचालन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है वह व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी माना जाएगा।

संक्षिप्त विचारण

इस अधिनियम के अन्दर होने वाली सभी सुनवाइयां न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप में की जाएंगी।

इस अधिनियम के लागू होने के बाद इस विषय में और कोई कानून लागू नहीं होगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार और अपराध को रोकने और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास (दोबारा बसाने) से संबंधित विषयों के लिए बनाया गया है।

अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड

कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को निम्न प्रकार से परेशान करता है जैसे -

1. कोई भी न खाने योग्य या हानिकारक चीज खाने या पीने के लिए मजबूर करता है, या
2. उसके घर में उसका नुकसान या परेशान करने के लिए शौच, मूत्र या गन्दगी फेंकता है, या
3. उसके कपड़े जबरदस्ती उतारे, उसको बिना कपड़ों के या उसके चेहरे या शरीर को रंग कर उसे घुमाने पर मजबूर करता है, या
4. उसकी जमीन पर कब्जा करता है या उस पर खेती करता है, या
5. उसको उसकी जमीन से निकाल देता है या किसी जगह पानी का प्रयोग न करने दे, या
6. उससे बन्धुआ मजदूरी करवाता है या जबरदस्ती काम करवाता है या बिना मजदूरी के काम करवाता है, या
7. उसको मतदान करने से रोकता है या किसी विशेष व्यक्ति के लिए मतदान करने के लिए मजबूर करता है, या
8. उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा दायर करता है या झूठा दोष लगाकर कानूनी कार्यवाही करवाता है, या
9. उसके विरूद्ध किसी लोक सेवक (सरकार कर्मचारी) को झूठी खबर देकर उसके द्वारा कार्यवाही कराता है, या
10. उसको अपमानित करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर उसका अपमान करता है, या
11. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला की लज्जा भंग करने के लिए बल का प्रयोग करता है, या
12. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है, और उस स्थिति का प्रयोग करके ऐसी महिला का शारीरिक शोषण करता है।
13. उसके द्वारा प्रयोग में किये जाने वाले पानी की जगह को गंदा करता है, या
14. उसको किसी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से मना करता है, या
15. उसको उसका मकान, गाँव या दूसरी रहने की जगह को छोड़ने के लिए मजबूर करता है।

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक से पाँच साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के -

1. विरूद्ध झूठी गवाही या सबूत देता है जिसके कारण उसे मृत्यू दण्ड मिल सकता है तो ऐसी झूठी गवाही या सबूत देने वाले व्यक्ति को उम्र कैद और जुर्माना की सजा होगी।
2. उसके विरूद्ध झूठी गवाही या सबूत देता है, जिसके कारण उसे ऐसे अपराध के लिए सजा मिलती है, जिसकी सजा सात साल की जेल या अधिक है तो ऐसे व्यक्ति को छः महीने से सात साल तक की जेल हो सकती है।
3. उसकी सम्पति को आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान पहुँचाता है या कोशिश करता है तो उसे कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
4. उसकी धार्मिक जगह को या रहने की जगह को आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान पहुँचाता है, या कोशिश करता है तो उसे उम्र कैद और जुर्माना हो सकता है।
5. उसके विरूद्ध कोई ऐसा अपराध करे जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दस साल से ज्यादा की जेल होती है, तो ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद और जुर्माना हो सकता है।

अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत हुए किसी अपराध के गवाह या अपराध के बारे में जानकारी छिपाता है जिससे कि अपराधी बच

जाएं तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए दी गई सजा से दण्डित किया जाएगा।

अगर कोई लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) इस अधिनियम के अन्दर कोई अपराध करता है, तो उसे कम से कम 1 महीने की जेल और ज्यादा से ज्यादा उस अपराध के लिए दी गई सजा हो सकती है।

कर्त्तव्यों का पालन न करने के लिए दण्ड

जब कोई लोक सेवक (सरकार कर्मचारी), जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है।

दोबारा अपराध करने पर सजा

दूसरी बार या उससे ज्यादा बार अपराध करने पर कम से कम 1 साल की जेल और ज्यादा से ज्यादा उस अपराध के लिए दिए गए समय के लिए सजा हो सकती है।

विशेष न्यायालय

राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद इस अधिनियम के अपराधों के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालयों का दर्जा दे सकती है। साथ ही विशेष सरकारी वकील (लोक अभियोजक) भी नियुक्त करेगी।

विशेष न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले कुछ आदेश

अगर विशेष न्यायालय को यह लगता है कि -

- इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध में किसी सम्पत्ति का प्रयोग हुआ है तो विशेष न्यायालय उस सम्पत्ति को जब्त करने के आदेश दे सकता है।
- पुलिस रिपोर्ट के तहत किसी व्यक्ति के किसी स्थान पर होने से इस अधिनियम के अन्दर किसी अपराध के होने की सम्भावना है तो विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में आने जाने से रोक सकता है।

नियम बनाने की शक्ति

केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् 1995 में इन नियमों का गठन किया। इन नियमों में मुख्य रूप से अपराधों के लिए दी जाने वाले मुआवजें की रकम दी गई है जो कि इस प्रकार है।

क्रम	अपराध का नाम	राहत की न्युनतम राशि
1.	न खाने योग्य या घृणाजनक पदार्थ पिलाना या खिलाना	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 25000 रू0 या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : (1) 25 प्रतिशते जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए। (2) 75 प्रतिशत जब अभियुक्त को निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए।
2.	क्षति पहुँचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध (परेशान) करना	
3.	अपमानजनक कार्य	
4.	जमीन पर अवैध कब्जा करना या उस पर खेती करना	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 25000 रू0 या उससे अधिक। भूमि या परिसर या जल की आपूर्त्ति जहाँ आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुन: की जाएगी। जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तब पूरा भुगतान किया जाएगा।
5.	भूमि परिसर या जल से संबंधित	
6.	बेगार या जबरदस्ती काम करवाना या बंधुवा मजदूरी करवाना	प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 25000 रू0। प्रथम सूचना रिपोर्ट के समय, 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचली अदालत में अपराध के साबित होने पर।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25000 रू0 तक।
8.	झूठा, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली कानूनी कार्यवाही	25000 रू0 या वास्तविक कानूनी खर्च और नुकसान की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के मामले की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो।
9.	झूठी या तुच्छ (घटिया) जानकारी	
10.	अनादर, धमकाना और अपमान	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25000 रू0 तक। 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र अदालतों को भेजा जाए और शेष दोषसिद्ध होने पर।
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 50000 रू0।
12.	महिला का लैगिंक शोषण	चिकित्सीय जाँच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत मुकदमे की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
13.	पानी गंदा करना	1,00,000 रू0 तक जब पानी को गंदा कर दिया जाए या उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।
14.	मार्ग के परम्परागत अधिकार से वंचित करना	1,00,000 रू0 तक या मार्ग या मार्ग के अधिकार को पुन: करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो उसका प्रतिकर मुआवजा। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र अदालत को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचली अदालत में अपराध साबित होने पर।
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना	ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रू0 का प्रतिकर (मुआवजा) तथा सरकार के खर्च पर मकान को दोबारा बनाने के लिए यदि उसे नष्ट किया गया हो, पूरी लागत का भुगतान जब निचली अदालत में आरोप पत्र भेजा जाए।

16.	झूठी गवाही देना	कम से कम 1,00,000 रू0 या हुए नुकसान या हानि का पूरा हर्जाना। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र अदालत में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचली अदालत द्वारा अपराध साबित होने पर।
17.	भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करना	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उससे आश्रित को कम से 50,000 रू0। यदि अनुसूची में अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंध किया हुआ हो तो इस राशि में अंतर होगा।
18.	किसी लोक सेवक के द्वारा सताया जाना	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा हर्जाना। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र अदालत में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचली अदालत में अपराध साबित हो जाए, किया जाएगा।
19.	विकलांगता-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं0 4-2/83 - एच0 डब्ल्यू -3 तारीख 6-8-1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यताओं की परिभाषाएं दी गई है। अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध-2 पर है। (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य (ख) जहाँ असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000 रू0। 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत निचली अदालत द्वारा अपराध साबित होने पर। अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,00,000 रू0। 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट/ चिकित्सीय जांच पर भुगतान किया जाय और 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचली अदालत में दोषसिद्ध होने पर। उपरोक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वही रहेंगे। तथापि न कमाने वाले सदस्य को कम से कम 15,000 रूपये और परिवार के विद्यमान सदस्य को कम से कम 30,000 रूपये।
20.	हत्या/मृत्यू (क) परिवार का न कमाने कमाने वाला सदस्य (ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 1,00,000 रू0। 75 प्रतिशत पोस्टमॉर्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचली अदालत द्वारा अपराध साबित होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम 2,00,000 रू0। 75 प्रतिशत भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचली अदालत में अपराध साबित होने पर।
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थता और डकैती।	उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत, भुगतान की गई राहत के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधावा और/या अन्य आश्रितों को 1000 रू0 प्रतिमास की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार, या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो, तो तत्काल खरीदकर उपलब्ध कराना। (ii) पीड़ितों के बालकों की शिक्षा और उसके भरण-पोषण का पूरा खर्च। बालकों को आश्रम, विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया जाए। (iii) तीन महीने के समय तक बर्त्तन, चावल, गेहूँ, दाल, दलहन आदि की व्यवस्था करना।
22.	पूर्णतया नष्ट/जला हुआ मकान	जहाँ मकानों को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो वहाँ सरकारी खर्च पर ईंट/पत्थर के मकान के निर्माण की व्यवस्था की जाए।

महत्वपूर्ण तथ्य :-

- यह जानकारी केवल जनजागरूकता के लिए दी जा रही है तथा कोई भी दावा प्रस्तुत करने से पूर्व मूल योजना द्रष्टव्य है।

सूचना एवं सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें :-

- सभी तरह की जानकारी तथा मदद के लिए (मदद के तहत विहित प्रपत्र उपलब्ध करना, उसे भरने में मदद करना तथा उसे सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करना शामिल है।) निकटतम अनुमंडल विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष / सचिव का मोबाइल नं० तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव का मोबाइल नं० झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के वेबसाइट www.jhalsa.org पर उपलब्ध है।
- हर तरह के सहायता के लिए कृपया सदस्य सचिव (मोबाइल - 08986601912) अथवा उपसचिव (मोबाइल - 09431387340), झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची का विस्तृत विवरण यह है :

पता-न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), महालेखाकार कार्यालय के समीप, डोरण्डा, राँची-834002, फैक्स-0651-2482397, टेलीफोन - 0651-2482392, 2482030, 2481520, ई-मेल- jhalsaranchi@gmail.com

यह पाठ्य सामग्री झालसा के वेबसाइट *(www.jhalsa.org)* पर भी उपलब्ध है।

❑❑❑

प्रकाशन वर्ष : 2016